

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376.232321
Fax No. :- 01376.232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1288/पी0-सिं0ख0-2/

दिनांक- 24/09/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 15.00 से रगड़गांव मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 9.8875 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध (Online proposal no. FP/UK/ROAD/22084/2016)

संदर्भ- आपका पत्रांक संख्या 4402/12-1 दिनांक, मसूरी 21.05.2020

महोदया,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावित भूमि के बदले दुगुने अर्थात 19.774 है0 ग्राम मौजा रगड़गांव अनवरत सिविल एवं सोयम पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0- 6061344.00 जमा कर दिये गये हैं। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा पत्र संख्या-552/XI-(2020-21) दिनांक, नई टिहरी, जुलाई, 10, 2020 द्वारा कर दिये गये हैं (छायाप्रति संलग्नक 01)। खाता खतौनी की 01 मूल प्रति व 03 छाया प्रति भी संलग्न है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा पत्र संख्या-552/XI-(2020-21) दिनांक, नई टिहरी, जुलाई, 10, 2020 द्वारा कर दिये गये हैं। कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 8354515.00 जमा कर दी गई है। जैसा कि उपरोक्त बिन्दु 01 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 6061344.00 की धनराशि एवं एन0पी0वी0 के रू0 8354515.00 कुल रू0 14415859.00 जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्नक 02)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में वचन बद्धता प्रमाण संलग्न है। (छायाप्रति संलग्नक 03)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा कर दी गई है।

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक 04)

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अपने स्तर से संस्तुति सहित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को भेजने का कष्ट करेंगे।

संलग्न- यथोपरि 04 नं०।



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० -2
नई टिहरी

पत्रांक:- 1288 / पी०-सि०ख०-2 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता- पंचम, पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०-2 नई टिहरी। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख० -2
नई टिहरी



"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

11:35:30 AM

My Account - My Proposals Environment Clearance - Only CRZ Clearance - My Proposals Forest Clearance - My Proposals Wildlife Clearance - Help -
Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (Name)	Date of IM-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Lett
1	PP-UP/ROAD/08421/2019 THATTUR, MAFAR H/E, KM 9.28(MALD) TO BHUVASAR MOTOR ROAD	ROAD/08421/2019/977	6138411077	29 Jun 2020	CA: ppCA: 1614437/- Safety Zone: ppV: 0/- 202530/- Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Total: 1614437/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	08 Jul 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 08 Jul 2020 : 05 Aug 2020
2	PP-UP/ROAD/21084/2016 Construction of km:15 of Rajur-Kumalder-Kaddukhal Motor Road to Rajar Green	ROAD/21084/2016/185	4122094185	06 Jan 2020	CA: ppCA: 6061344/- Safety Zone: ppV: 0/- 835415/- Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Total: 1441859/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	22 Jan 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 14 Feb 2020 : 17 Feb 2020
3	PP-UP/ROAD/22941/2017 Construction of km:35 of Kappur-Kumalder-Kaddukhal Motor Road to Ghare	ROAD/22941/2017/582	4122941502	07 Dec 2019	CA: ppCA: 127607/- Safety Zone: ppV: 0/- 235813/- Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Total: 3035415/-	PAID	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	04 Jan 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 27 Jan 2020 : 28 Jan 2020

11/11/17

03/07/2017

14415859-10

12-11-17-7/11/17

Cash only (for NEFT) / केवल नकद (केवल NEFT के लिए) Cheque / चेक Debit of my/our account (only for NEFT) / मेरे/हमारे खाते का उधार (केवल NEFT के लिए)

To be filled by the Applicant in CAPITAL LETTERS / भरने वाले को बड़े अक्षरों में भरना है

DETAILS OF APPLICANT (DEBITER) / भेजने वाले का विवरण

Account Number/खाते नं.: 85901000510
 Cheque Number/चेक नं.: 000815
 Cheque Date/चेक की तारीख: 03/07/2017
 Debtor's Name/भेजने वाले का नाम: CHIEF ENGINEER UKRADI STATE
 Account Name/खाते का नाम: FUND ACCOUNT

DETAILS OF BENEFICIARY/भेजने वाले का विवरण

Beneficiary's Name/भेजने वाले का नाम: UTI TAKAVYCHINL CAMPAN
 Account Number/खाते नं.: 150896122084185
 Bank Name/बैंक का नाम: CORPORA TION BANK
 IFSC Code (11 digit)/11 अक्षरों का कोड: CORP0000371
 Branch Address/शाखा का पता: UDHAN COMPLEX VIEW, DAF, LVZ
 Correspondent Account Number/संबंधित खाते नं.: 150896122084185

PURPOSE CODE FOR NEFT/उधार/उधार के लिए कोड

CASH	Cash Management Transfer / नकद प्रबंधन स्थानांतरण	INTE	Interest/ब्याज	SUPP	Supplier Payment / भुगतान
COBT	Trade Settlement Payment / व्यापार निपटारा भुगतान	LOAN	Loan / ऋण	TAXS	Tax Payment/ कर भुगतान
DIVI	Dividend/विभाजित	PENS	Pension Payment/ पेंशन भुगतान	TRAD	Trade/व्यापार
GOVT	Government Payment / सरकारी भुगतान	SALA	Salary Payment/ वेतन भुगतान	TREA	Treasury Payment/दफ्तरी भुगतान
HEDG	Hedging/रक्षा	SECU	Securities / प्रतिभूति	VATX	Value Added Tax Payment/ मूल्य प्रवर्धन कर भुगतान
INTC	Intra Company Payment/ अंतर-कंपनी भुगतान	SSBE	Social Security Benefit/ सामाजिक सुरक्षा भुगतान	WILD	With Holding/रोक



--आदेश--

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/ 98/2019/एफ०सी०/2212 दिनांक 06.01.2020
 के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदूखाल मोटर मार्ग
 के कि०मी० 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.8874 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य
 विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-रगड़गांव,
 पट्टी-सकलाना, तहसील-धनोल्टी की 19.775 है० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का
 हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या-111/२०का०
 (सं०नि०)-20, दिनांक धनोल्टी, जून 05, 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित
 की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे०में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
रगड़गांव	सकलाना	05	171 म०	3.064 है०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			289	4.944 है०	-तथैव-
			722	1.093 है०	-तथैव-
			731	2.698 है०	-तथैव-
			743	0.246 है०	-तथैव-
			753	0.285 है०	-तथैव-
			783	0.196 है०	-तथैव-
			785	0.752 है०	-तथैव-
			793	0.256 है०	-तथैव-
			846	1.484 है०	-तथैव-
			875	1.153 है०	-तथैव-
			883	2.136 है०	-तथैव-
			884	0.236 है०	-तथैव-
			903	0.226 है०	-तथैव-
			904	0.254 है०	-तथैव-
927	0.752 है०	-तथैव-			
योग			19.775 है०	वृक्षारोपण हेतु	

प्रस्तावित रायपुर-कुमाल्डा-कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगडगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -2882/XVIII(II)/ 11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या-2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम-रगडगांव, पट्टी-सकलाना के खाता संख्या-05 के खसरा नम्बर-171म० रक्वा 3.064 है०, 289 रक्वा 4.994 है०, 722 रक्वा 1.093 है०, 731 रक्वा 2.698 है०, 743 रक्वा 0.246 है०, 753 रक्वा 0.285 है०, 783 रक्वा 0.196 है०, 785 रक्वा 0.752 है०, 793 रक्वा 0.256 है०, 846 रक्वा 1.484 है०, 875 रक्वा 1.153 है०, 883 रक्वा 2.136 है०, 884 रक्वा 0.236 है०, 903 रक्वा 0.226 है०, 904 रक्वा 0.254 है० एवं 927 रक्वा 0.752 है० कुल रक्वा 19.775 है० (उन्नीस दशमलव सात सात पांच है०) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

परिष्कृत सं०-12
वर्ष 1920
मिथल सं०
302/10/20

ACC II

(मंगेश धिल्लियाल)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-552/XI- (2020-21)दिनांक,नई टिहरी,जुलाई,10,2020.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०-2 नई टिहरी।
- 7- उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
- 8- तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

NOV. 2. A खर्चीकी नकल श्रावण रूग्णों के पक्ष लकलाग तदनुसृत - एनोलेय विना नरि 30


क्र.सं.	श्रावण नाम	श्रावण का वर्ष	श्रावण अंक	श्रावण मूल्य	श्रावण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7 - 8
05	उत्तराखण्ड लकलाग वगै-903) डी.सी.	दाल. बन्दी- बाल ले प्र	01 21 22 23 XXX 171 XXX 289 XXX 722 XXX 731 733 743 747 753 780 783 785 793 805 835 840 846 856 866 875 883 884 886 903 904 XXX 927 XXX 950 957	1.504 1.254 0.074 0.025 XXX 5.048 XXX 4.944 XXX 1.093 XXX 2.698 0.135 0.246 0.098 0.285 0.080 0.196 0.752 0.256 0.145 0.010 0.008 1.484 0.055 0.016 1.153 2.136 0.236 0.023 0.226 0.254 XXX 0.752 XXX 0.379 0.230		आदेश- यु.आं श्रीमंत सिविल जज के आदेश सं. 552/XI-(2020-21) दिनांक 10.07.2020 के अनुसार- श्रावण सं. 2173/XVIII(A) /2012-18(120)/2010 श्रावण अनुक्रमांक -2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उपाखिलाफिकाए एनोलेय श्रावण प्रस्तावित श्रावण रूग्णों के श्रावण सं. 5 (अं. वि. 20) के श्रावण सं. 171 अं. 3.064, 289/4.944, 722/1.093, 731/2.698, 743/0.246, 753/0.285, 783/0.196, 785/0.752, 793/0.256, 846/1.484, 875/1.153, 883/2.136, 884/0.236 /903/0.226, 904/0.254, 927/0.752 कुल श्रावण 19.775 (उन्नीस दशमलव सात सात पाँच डे०) श्रेणी-903) डी.सी. (श्रावण विकास के निष्ठावलाधीन) सिविल जज उल्लिखित श्रावणों के आलोक में वगै विकास के पक्ष में प्रतिपक्ष वृक्षापेण डेवु इस्ताफ्तारु किप जी का आदेश है
		गोश	106	88.500		

1883
22-8-2020
राजसव उपनिरीक्षक
बठिनाणगांव
नरनौल-धनोली (टिगा)


**शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की वचनबद्धता
सम्बन्धी प्रमाण पत्र**

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 15.00 से रगड़गांव मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 9.8875 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।


भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१९/एफ०सी०/२२१२ दिनांक ०६.०१.२०२० में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या ४ के अनुपालन में "शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२ नई टिहरी जमा करने हेतु वचनबद्ध है"।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी





अधिसूत्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का कटान/पातन
किया जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड मे रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 15.00 से रगड़गांव मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 9.8875 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 757 वृक्ष एवं 101 Seplings कुल 858 वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिक्षासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 1342 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 26 / 09 / 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगड़गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.8875 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/22084/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१९/एफ०सी०/२४१, दिनांक-१९.०५.२०२२ एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-२८८१/FP/UK/ROAD/22084/2016, दिनांक-२१.०६.२०२२।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-१९.०५.२०२२ में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उल्लिखित ०४ बिन्दुओं की सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार सादर प्रेषित है :-

S.N	Observation	Compliance
1.	राज्य सरकार द्वारा एन०पी०वी० ९.८८७ हे० क्षेत्र हेतु धनराशि रू० ८३,५४,५१५ /- जमा की गयी है जोकि ९.८८७५ हे० क्षेत्र के लिए रू० ८३,५४,९३८ /- जमा की जानी है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि शेष बची धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या १ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष धनराशि ₹ ४२३.०० कैम्पा कोष में दिनांक-१३.०९.२०२२ को जमा कर दी गयी है। Payment Details की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-१)।
2.	राज्य सरकार धनराशि रू० ६०,६१,३४४/- हेतु संशोधित सी०ए० स्कीम इस कार्यालय को प्रेषित करना का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या २ के अनुपालन में धनराशि ₹ ६०,६१,३४४.०० की संशोधित सी०ए० स्कीम संलग्न कर दो प्रतियों में प्रेषित है (संलग्नक-२)।
3.	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश के पैरा २.४ (i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	बिन्दु संख्या ३ के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल व सोयम भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-४१६२/१२-१, दिनांक-२८.०१.२०० से वन संरक्षक, यमुना वृत्त के माध्यम से सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-३ को प्रस्तुत किया गया है। महोदय, अवगत कराना है कि विभिन्न प्रकरणों अधिसूचना की छायाप्रति शासन द्वारा सम्भवतया आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। इस कार्यालय को अध्यक्षता तक किसी भी प्रकरण में अधिसूचना की छायाप्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अधिसूचना की प्रति हेतु शासन स्तर से पत्राचार करने का कृपा करें

P.T.O.

<p>4.</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 की अनुपालना में 108 वृक्षों का पातन अंकित किया गया है जबकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में इनकी संख्या 757 वृक्ष एवं 101 saplings है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।</p>	<p>विन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में अवगत कराना इस कार्यालय के पत्र संख्या-5234/12 दिनांक-31.03.2022 (संलग्नक-3) से प्रेषित अनुपालन आख्या के विन्दु संख्या-6 में सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार प्रकरण में 757 वृक्ष एवं 101 saplings के पातन किये जाने का उल्लेख किया गया है एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है। किन्तु आपके कार्यालय के पत्रांक-2595/FP /UK/ROAD/22084/2016, दिनांक-28.04.2022 (संलग्नक-4) के द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या के विन्दु संख्या-6 में 108 वृक्षों के पातन किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि सम्भवतः त्रुटिवश अंकित है।</p>
-----------	---	---

संलग्न:-यथोपरि।

संख्या:- 1342/ तददिनांकित

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(आशुतोष सिंह)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



अधिशारी अनियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२
नई टिहरी

Fax No. :- 01376 232321
E-Mail ID :- egpmssytech2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- /पी०-सि०ख०-२/ २३१६३११९

दिनांक- 15/09/2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय:-

एन०पी०वी० जमा करने के सादर में। (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर में आर०के०के० मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से रगड़गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.8875 हे० वन भूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावेतन।) FP/UK/ROAD/22094/2016)

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक- 63681/12-1, मसूरी, दिनांक 13.06.2022

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी सौद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा उक्त अनुपालन आख्या में कतिपय कमियां इंगित की गयी है। आर०के०के० मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से रगड़गांव मोटर मार्ग के क्रम में रु०-8354515.00 जमा की गयी थी। जबकि प्रस्ताव में रु०- 8354938.00 जमा की जानी थी। अतः इस कार्यालय के पत्रांक सं०- 1361/पी०-सि०ख०-२/ दिनांक 26.08.2022 द्वारा शेष धनराशि रु०-423.00 कैम्पा कोष में दिनांक 13.09.2022 को जमा करा दी गयी है।


अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- ऑनलाईन चालान की छायाप्रति 01 नं०।

अधिशारी अनियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०चाईखण्ड-२
नई टिहरी

पत्रांक:- 1480 /पी०-सि०ख०-२/ तददिनांक।

प्रतिलिपि- सहायक अनियन्ता-पंचम, पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०-२ नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशारी अनियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०चाई खण्ड-२
नई टिहरी
15/09/22

<p>2</p> <p>FP/UK/ROAD/22084/2016 K:./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/22084/2016)</p> <p>Construction of Km-15 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road to Ragar Gaon</p>	<p>ROAD220842016384</p>	<p>6122084384</p>	<p>06 Jan 2020</p>	<p>CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 423/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 423/-</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Paid</p>	<p>Fund Demand Verified by : 23 Aug 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 26 Aug 2022 On</p>	<p>Demand Letter K:./writereaddata/Fundpdf/030820221401207721_F Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.as</p>
<p>3</p> <p>FP/UK/ROAD/38431/2019 K:./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/38431/2019)</p> <p>THATTYUR- MARRAR M/R KM 9.78(MAUD) TO BHUVASARI MOTOR ROAD</p>	<p>ROAD384312019077</p>	<p>6138431077</p>	<p>29 Jun 2020</p>	<p>CA: 1614437/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 2022930/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3637367/-</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Paid</p>	<p>Fund Demand Verified by : 08 Jul 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 09 Jul 2020 On</p>	<p>Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/7117124 Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCor</p>
<p>4</p> <p>FP/UK/ROAD/22084/2016 K:./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/22084/2016)</p> <p>Construction of Km-15 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road to Ragar Gaon</p>	<p>ROAD220842016185</p>	<p>6122084185</p>	<p>06 Jan 2020</p>	<p>CA: 6061344/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 8354151/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 14415859/-</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Paid</p>	<p>Fund Demand Verified by : 22 Jan 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 14 Feb 2020 On</p>	<p>Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/1111912 Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCor</p>

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 1591 /X-3-23/1(22)/2019

देहरादून: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ जिला टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगड़गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.8875 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कृषि योग्य बंजर) के 19.775 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

क्र०सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	टिहरी गढ़वाल	रगड़गांव	सकलाना	धनोल्ती	05	171म०	3.064	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०
						289	4.944	
						722	1.093	
						731	2.698	
						743	0.246	
						753	0.285	
						783	0.196	
						785	0.752	
						793	0.256	
						846	1.484	
						875	1.153	
						883	2.136	
						884	0.236	
						903	0.226	
904	0.254							
927	0.752							
योग-							19.775	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site					
ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	78°12' 23.575" E	30°18' 39.028" N	27	78°12' 38.337" E	30°18' 44.913" N
2	78°12' 22.502" E	30°18' 40.432" N	28	78°12' 37.560" E	30°18' 40.734" N
3	78°12' 22.645" E	30°18' 42.657" N	29	78°12' 42.071" E	30°18' 40.829" N
4	78°12' 25.916" E	30°18' 41.639" N	30	78°12' 46.072" E	30°18' 37.889" N
5	78°12' 26.113" E	30°18' 39.890" N	31	78°12' 48.735" E	30°18' 34.961" N
6	78°12' 26.601" E	30°18' 42.167" N	32	78°12' 49.450" E	30°18' 35.490" N
7	78°12' 22.921" E	30°18' 43.347" N	33	78°12' 47.787" E	30°18' 37.398" N
8	78°12' 23.035" E	30°18' 43.823" N	34	78°12' 49.281" E	30°18' 37.923" N
9	78°12' 23.670" E	30°18' 44.504" N	35	78°12' 50.842" E	30°18' 38.296" N
10	78°12' 25.752" E	30°18' 46.666" N	36	78°12' 49.559" E	30°18' 40.615" N
11	78°12' 26.944" E	30°18' 46.245" N	37	78°12' 52.306" E	30°18' 42.119" N
12	78°12' 26.415" E	30°18' 45.125" N	38	78°12' 53.224" E	30°18' 39.028" N
13	78°12' 25.219" E	30°18' 43.578" N	39	78°12' 23.575" E	30°18' 39.985" N
14	78°12' 31.118" E	30°18' 42.936" N	40	78°12' 52.316" E	30°18' 45.491" N
15	78°12' 31.549" E	30°18' 46.391" N	41	78°12' 49.447" E	30°18' 45.768" N
16	78°12' 27.323" E	30°18' 46.850" N	42	78°12' 46.463" E	30°18' 49.241" N
17	78°12' 28.034" E	30°18' 45.521" N	43	78°12' 47.210" E	30°18' 49.883" N
18	78°12' 26.903" E	30°18' 47.971" N	44	78°12' 45.441" E	30°18' 55.494" N
19	78°12' 30.027" E	30°18' 52.501" N	45	78°12' 40.035" E	30°18' 54.885" N
20	78°12' 39.288" E	30°18' 52.813" N	46	78°12' 39.595" E	30°18' 50.449" N
21	78°12' 35.366" E	30°18' 46.935" N	47	78°12' 42.404" E	30°18' 48.626" N
22	78°12' 33.702" E	30°18' 41.243" N	48	78°12' 43.830" E	30°18' 43.926" N
23	78°12' 35.534" E	30°18' 41.324" N	49	78°12' 42.244" E	30°18' 43.925" N
24	78°12' 34.558" E	30°18' 43.534" N	50	78°12' 43.314" E	30°18' 41.690" N
25	78°12' 37.436" E	30°18' 46.495" N	51	78°12' 40.386" E	30°18' 42.359" N
26	78°12' 37.132" E	30°18' 42.993" N	52	78°12' 38.688" E	30°18' 43.224" N

Signed by Kahkashan

Naseem

Date: 18-12-2023 13:24:00

अपर सचिव

संख्या:- 1591 / X-3-23/1(22)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
- प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी।
- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
- उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।

11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

**Signed by Satya Prakash
Singh**
Date: 18-12-2023 17:43:17

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।